बलात् श्रम का प्रतिषेध (Prohibition of Forced Labour)

अनुच्छेद 23 (1) / Article 23(1)

(i) दासप्रथा / slavery

(ii) बेगार अथवा बलात्श्रम / forced labour

(iii) मनुष्यों का वस्तुओं की भाँति क्रय-विक्रय । / Buying and selling of human beings like commodities.

(iv) स्त्रियों एवं बच्चों का अनैतिक व्यापार / Immoral trafficking of women and children

(v) बंधुआ मजदूरी आदि। Bonded labour etc

बालकों के नियोजन का प्रतिषेध → Art:24
(Prohibition of Employment of Children)

↳ रोजगार ✗

इसके अन्तर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खानों अथवा अन्य किसी जोखिम पूर्ण कार्य में नियोजन का निषेध किया गया है।

Under this, employment of children below 14 years of age in factories, mines or any other hazardous work is prohibited.

↳ खतरा ⇒ 14 ↓ · घरों ✗ · होटलों ✗ 14 ↑ 18 वर्ष

अन्तःकरण आदि की स्वतंत्रता

(Freedom of Conscience etc)

अनुच्छेद 25 / Article -25

- धर्म (Religion) ⇒ स्वीकार
- प्रचार-प्रसार
- आचरण (पूजा-पाठ)

⇒ किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते हैं।

⇒ सिक्खों में "कृपाण" धारण करने का अधिकार Art. 25 देता है।

धार्मिक कार्यों के प्रबन्धन की स्वतंत्रता
(Freedom to Manage religious affairs)

अनुच्छेद- 26 / Article- 26

→ Religious Denomination

- यह स्वतंत्रता व्यक्तियों को नहीं बल्कि धार्मिक संप्रदायों को दी गयी है । This freedom has been given not to individuals but to religious sects.

धार्मिक संप्रदाय है?
what is religious sects?
⟹ लोगों का समूह - Group of people
→ एक धर्म (Religion)
→ नाम (Name)
→ उद्देश्य (objectives)

ex.
रामकृष्ण मिशन
⇒ RSS

धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति

(Freedom to Taxes for religious Promotion)

अनुच्छेद-27 / Article - 27

↳ Religious Tax
धार्मिक कर

e.g. ⇒ जजिया कर (Tax)

Tax ⇒ Compulsory / अनिवार्य

⇒ लेकिन Fees ले सकते हैं।

↓

शुल्क

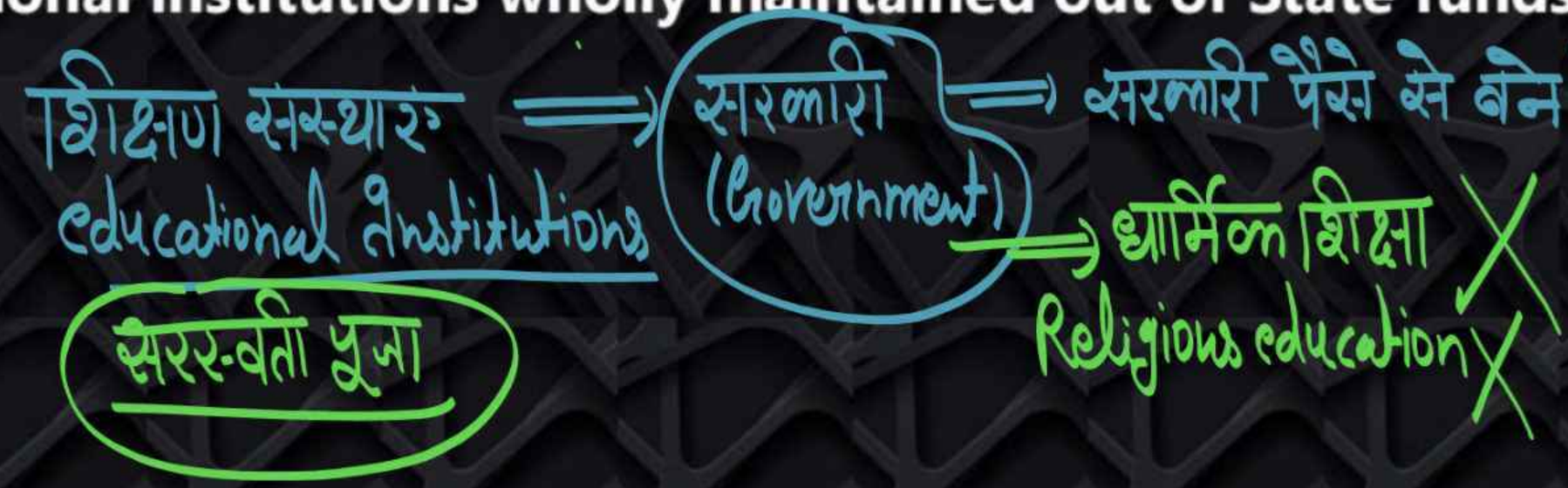
↳ Services
सेवाएं

शिक्षण संस्थाओं के बारे में स्वतंत्रता

(Freedom in Educational Institutions)

अनुच्छेद-28 का खण्ड (1) राज्य निधि से पूर्णतः पोषित के शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दिये जाने का निषेध करता है।

Clause (1) of Article 28 prohibits the imparting of religious education in educational institutions wholly maintained out of State funds.



अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण

(Protection of Interests of minorities)

अनुच्छेद-29 (1) / Article – 29(1)

भारत के प्रत्येक नागरिक को, जिसकी अपनी विशेष भाषा (Language) लिपि (Script) या संस्कृति (Culture) है, उसे बनाये रखने का अधिकार होगा। Every citizen of India who has his own distinct language, script or culture shall have the right to preserve it.

Art. 29 ⇒ भाषा, लिपि ✓
संस्कृति

Art. 29
Art. 30 > अल्पसंख्यकों (जिनकी जनसंख्या बाकी की अपेक्षा कम होती है)
Minorities
(1) भाषायी (2) धार्मिक ✓

शिक्षण संस्थाओं की स्थापना

(Establishment of Educational Institution)

अनुच्छेद 30 (1) के अन्तर्गत शिक्षण संस्थायें स्थापित करने तथा उन्हें संचालित करनें का अधिकार दिया गया है Article 30(1) gives the right to establish and administer educational institutions.

Ex. => मदरसे

संवैधानिक उपचारों का अधिकार
(Right to Constitutional Remedies)

अनुच्छेद 32

डा. भीम राव अम्बेडकर ने इसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा (Heart and Soul) कहा है।

Article 32 ⇒ मौलिक अधिकारों की सुरक्षा

Dr. Bhim Rao Ambedkar called it the heart and soul of the Indian Constitution.

5 रिट जारी

- Supreme Court उच्चतम न्यायालय ⇒ Art. 32
- या
- High Court उच्च न्यायालय ⇒ Art. 226

पाँच प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है। यथा—

(1) बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus),

(2) परमादेश (Mandamus),

(3) प्रतिषेध (Prohibition),

(4) उत्प्रेषण (Certiorari) तथा

(5) अधिकार पृच्छा (Quo warranto)

→ जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और उसे २५ घंटे के अंदर (within २५ Hours) मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता, तो यह रिट उस व्यक्ति के खिलाफ जारी होती है जिसने उसे गिरफ्तार (Arrest) किया है।

